न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 168/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।		1 मोहनसिंह 2 शैतानसिंह 3 वीरसिंह पिसरान तनसिंह 4 हरकंवर पत्नी शैतानसिंह 5 तेजसिंह 6 रेवन्तसिंह पिसरान थानसिंह 7 समदकंवर पत्नी थानसिंह 8 हेमसिंह 9 भभूतसिंह 10 राजेन्द्रसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 11 बनेसिंह पुत्र रतनसिंह 12 किशोरसिंह 13 प्रतापसिंह पिसरान भाखरसिंह 14 हंसकंवर पत्नी भाखरसिंह 15 धनसंह 16 शिवसिंह 17 पूरसिंह पिसरान पदमसिंह 18 जीवकंपर पत्नी पदमसिंह 19 उदयसिंह पुत्र दीपसिंह 20 रिडमलसिंह पुत्र दौलतसिंह 21 मेवसिंह 22 शक्तिसिंह पिसरान कमलसिंह 23 मोरकंवर पत्नी कमलसिंह 24 विशनसिंह 25 हेमसिंह पिसरान सबलसिंह जाति राजपूत निवासी चकलानी, कवास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
2 श्री पवन सिंघल वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 10/01/2020

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास के खसरा संख्या 51/16, 55/21, 57/29, 83/22 व 91/32 रकबा क्रमशः 09.08, 69.01, 36.04, 15.06 व 12.17 कुल रकबा 142.16 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी उक्त भूमि का भूमिधारी है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में से खसरा संख्या 57/29 रकबा 36.04 बीघा भूमि का उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न अवैध जिप्सम की खुदाई कर बिना माईनिंग लिज के अवैध खनन कर जिप्सम फैक्ट्रियां के मालिकों को बेचान कर बिना रॉयल्टी चुकाये राजस्व हानी व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है। उक्त खातेदारी की उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि उतरलाई वायुसेना हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र में आती है जिसका कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग करना वर्जित है। उक्त भूमि का अकृषि से भिन्न उपयोग करने से व खुदाई के कारण बड़े–बड़े खड्डे हो गये है जो सुरक्षा की दृष्टी से घातक है। अप्रार्थीगण उक्त 36.04 बीघा भूमि में कृषि से भिन्न अवैध जिप्सम की खुदाई कर बिना माईनिंग लिज के अवैध खनन कर जिप्सम फैक्ट्रियां के मालिकों को बेचान कर बिना रॉयल्टी चुकाये राजस्व हानी व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर रहे है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा चकलानी पटवार क्षेत्र कवास के खसरा संख्या 57/29 रकबा 36.04 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाडमेर

Scanned with CamScanner

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के खेतों में जिप्सम नही है व अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का खनन नही किया जा रहा व प्रतिवर्ष खेती की जाती है। उक्त खेतों में गवार आदि की खेती हर वर्ष की जा रही है, गिरदावरी साथ पेश की गई। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

प्रकरण से निस्तारण से पूर्व तहसीलदार बाडमेर से मौके की वर्तमान रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2019/700 दिनांक 27.02.2019 द्वारा मौका रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा चकलानी पटवार क्षैत्र कवास के खसरा संख्या 57/29 रकबा 36.04 बीघा भूमि में खसरा गिरदावरी संवत् 2073 से 2076 के मुताबिक संवत 2073 में उक्त खसरा में सामलाती काश्त ग्वार 25.09 बीघा बोया गया था। संवत् 2074 से 2075 तक वर्षा नही होने के कारण अकाल होने के कारण खातेदारों द्वारा फसल नही बोयी गई। पुरे गांव में 100 प्रतिशत अकाल 02 वर्ष में दर्ज किया गया था। मौके पर उक्त खसरे में किसी भी प्रकार का अवैध खनन कार्य नही हो रहा है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संवत 2073 में उक्त खसरा में सामलाती काश्त ग्वार 25.09 बीघा में की गई तथा संवत् 2074 व 2075 में शत् प्रतिशत अकाल दर्ज किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अवैध खनन नही होना अंकित किया है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होना प्रमाणित नही है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (SDO),
(बाड़मेर) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO),
बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.03.13 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: